न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35/2017 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 27.09.2017
G.C.M.S. NO. :- 2017/00077

शंकर पिता प्यारा लौहार, उम्र 70 वर्ष, निवासी भाणुजा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम मण्डफिया (सांवलियाजी) तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–सुरेन्द्र कुमार पिता रामेश्वर लाल लौहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी भाणुजा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत भाणुजा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत भाणुजा, पंचायत समिति बडीसादडी, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 68 दिनांक 28.01.2013 ग्राम पंचायत भाणुजा,

उपस्थितिः 1–श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री सोहनलाल जणवा, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1

निर्णय

दिनांक 15.02.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है गैर निगराकार संख्या 2 अधीनस्थ ग्राम पंचायत भाणुजा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 68 दिनांक 28.01.2013 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों तथा कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। गैर निगराकार संख्या 1 को जिस विवादित स्थल का पट्टा जारी किया है वह प्रार्थी निगराकार एवं विपक्षी के पिता रामेश्वर की पैतृक गुवाडी होकर निगराकार व गैर निगराकार के पिता को जरिये विरासत प्यारा जी से प्राप्त हुई जिस पर निगराकार व उसके भाई रामेश्वर द्वारा मौके पर बंटवाडा कर अलग-अलग काबिज हो आवासीय उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। निगराकार व्यवसायिक कार्य से बाहर मण्डफिया रहता है जिसका नाजायत लाभ उठाकर गैर निगराकार संख्या 1 ने गैर निगराकार संख्या 2 से दुरभि संधि कर पैतृक आबादी भूमि का पट्टा गलत रूप से अपने नाम जारी करा लिया जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भाणुजा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 68 दिनांक 28.01.2013 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बडीसादडी द्वारा अपने पत्रांक/पसब/संस्था/निगरानी/2018-19/526 दिनांक 09.05.2018 से पट्टे से संबंधित रेकार्ड पेश किया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सोहन लाल जणवा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भाणुजा ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जिस विवादित स्थल का पट्टा गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया वो निगराकार एवं गैर निगराकार के पिता रामेश्वर की पैतृक गुवाडी होकर पूर्वजों के समय से चली आ रही है जो निगराकार व गैर निगराकार के पिता रामेश्वर को जरिये विरासत प्यारा जी से प्राप्त हुई है। जिस पर निगराकार व उसके भाई रामेश्वर द्वारा मौके पर बंटवाड़ा कर अलग-अलग काबिज हो आवासीय उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। निगराकार व्यवसायिक कार्य से मण्डफिया में रहता है इसी का नाजायज लाभ उठाते हुए गैर निगराकार सुरेन्द्र जो रिश्ते में निगराकार का भतीजा है ने विपक्षी संख्या 2 से दुरभि संधि कर उक्त पैतृक आबादी भूमि का पट्टा गलत रूप से अपने नाम जारी करवा लिया। उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार की उजरदारी ग्राम पंचायत द्वारा आमंत्रित नहीं की ना ही भूखण्ड के संबंध में वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका व भौतिक स्थिति का अवलोकन किया। विवादित पट्टे में जो पड़ौस अंकित किये है उस पर निगराकार का अपने पूर्वजों से कब्जा चला आ रहा है तथा निगराकार व उसके भाई के मध्य बंटवाड़ा होकर विवादित भूखण्ड निगराकार के हिस्से में आया है। जिसका गैर निगराकार ने गलत रूप से पट्टा जारी करवाया है जो निरस्तनीय है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भाणुजा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 68 दिनांक 28.01.2013 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत भाणुजा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा विधि-सम्मत् जारी किया है। निगराकार द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि निगराकार ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दान पत्र का निष्पादन दिनांक 14.08.2012 को करवा दिया था जिसके आधार पर उक्त भूखण्ड का सम्पूर्ण स्वामित्व गैर निगराकार संख्या 1 का है। साथ ही

प्रकरण संख्या 35/2017 (नि.पं.)
शंकरलाल पिता प्यारा लौहार निवासी भाणुजा हाल मण्डफिया बनाम सुरेन्द्र कुमार पिता रामेश्वर लाल लौहार निवासी भाणुजा हाल भादसोड़ा वगैरा

निगराकार ग्राम भाणुजा में निवास भी नहीं करता है तथा उक्त तथ्य स्वयं निगराकार ने स्वीकार किया है कि वह मण्डफिया में निवास करता है। इस प्रकार जब निगराकार ग्राम भाणुजा में निवास ही नहीं करता है तो विवादित पट्टे वाले भूखण्ड पर निगराकार का स्वामित्व किस प्रकार बनता है। निगराकार ने स्वयं यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि निगराकार तथा गैर निगराकार के पिता के मध्य मौके पर आपसी बंटवाड़ा होकर अलग-अलग काबिज हो उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। निगराकार स्वयं उक्त भूखण्ड को गैर निगराकार के पक्ष में दान कर चुका है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने विधिपूर्ण कार्यवाही कर पैतृक भूमि पर गैर निगराकार के कब्जे के आधार पर उसे पट्टा जारी किया है। अतः निगराकार खारिज फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकार ने अपनी निगरानी के बिन्दु संख्या 2 में निगराकार एवं गैर निगराकार के पिता रामेश्वर लाल के मध्य मौके पर बंटवाड़ा कर अलग-अलग काबिज हो उपयोग-उपभोग करना अंकित किया है तथा निगरानी के बिन्दु संख्या 4 में निगराकार एवं उसके भाई रामेश्वर लाल के मध्य आपसी बंटवाड़ा होकर विवादित भूखण्ड सम्पूर्ण निगराकार के हिस्से में आना अंकित किया है जो परस्पर विरोधाभासी कथन है। साथ ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है जिससे निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 1 के पिता रामेश्वर लाल के मध्य आपसी बंटवाड़ा होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

निगराकार ने अपनी निगरानी में यह तथ्य उठाये हैं कि विवादित भूखण्ड के संबंध में उजरदारी जारी नहीं की ना ही वार्ड पंचों की कमेटी का चयन कर मौका निरीक्षण किया कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा इस न्यायालय में पेश अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार संख्या 1 के पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन करने पर, ग्राम पंचायत ने मिसल

प्रकरण संख्या 35/2017 (नि.पं.)
शंकरलाल पिता प्यारा लौहार निवासी भाणुजा हाल मण्डफिया बनाम सुरेन्द्र कुमार पिता रामेश्वर लाल लौहार निवासी भाणुजा हाल भादसोड़ा वगैरा

कायम की है तीन पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं पड़ौसी मौतबिरान के बयान मिसल में उपलब्ध है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल में दान पत्र दिनांक 14.08.2012 की प्रति का अवलोकन किया जिसके अनुसार निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में विवादित पट्‌टे वाले भूखण्ड का स्वेच्छा से दान करना स्पष्ट प्रतिवेदित है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत भाणुजा के बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर अनुसार दिनांक 28.01.2013 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 से प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013 में दिनांक 28.01.2013 को तमाम ग्रामवासियों की मौजुदगी में विवादित भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 1 के कब्जे के आधार पर उक्त पट्‌टा जारी किया है और केवल गैर निगराकार संख्या 1 को ही पट्‌टा जारी नहीं करके उसके साथ अन्य लगभग 70 व्यक्तियों को पट्‌टे जारी किये हैं।

निगराकार ने स्वयं व्यवसायिक कार्य से मण्डफिया में निवास करना स्वीकार किया है जिससे विवादित पट्‌टे वाले भूखण्ड पर उसके कब्जे की पुष्टि भी नहीं होती। साथ ही निगराकार ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसकी विवादित पट्‌टे वाले भूखण्ड पर कब्जे की पुष्टि होती हो।

निगराकार द्वारा केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर हम यह पट्‌टा निरस्त किया जाना उचित नहीं मानते हैं। साथ ही निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्‌टा संख्या 68 दिनांक 28.01.2013 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

Web Copy - Not Official